दिनांक 01.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 01/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30.06.2024 को थाना कोतवाली बागपत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम काठा से यमुना खादर जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुऐब घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हापुड़, बागपत के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुऐब निवासी जाफर कॉलोनी थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद, मूलपता ग्राम सिवालखास थाना जानी जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद फिरोजाबाद/थाना रजावली

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 30.06.2024 को थाना रजावली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लखनई के पास से 03 अभियुक्तों 1–वीरपाल 2–विपिन 3–पंजाबी को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना रजावली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रजावली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त पंजाबी के विरूद्ध जनपद एटा, कासगंज, अलीगढ़, फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 31 अभियोग, अभियुक्त वीरपाल के विरूद्ध जनपद एटा, कासगंज, फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त विपिन के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रजावली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वीरपाल निवासी ग्राम नमेनी थाना कोतवाली जनपद कासगंज।

2—विपिन निवासी पैंसोई थाना सौरों जनपद कासगंज।

3—पंजाबी निवासी पैंसोई थाना सौरों जनपद कासगंज।

बरामदगी

1—लगभग 25 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 01.07.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर न्याजूपुरा से चरथावल मार्ग पर बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शाहरूख घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाहरूख निवासी न्याजूपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बिजनौर/थाना नूरपुर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 30.06.2024 की रात्रि थाना नूरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कुण्डा बलदान के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–अनंत उर्फ देशी 2–अमन उर्फ शेरा 3–रितिक 4–प्रियांशु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर पर वाहन चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनंत उर्फ देशी निवासी ग्राम बिराल थाना चॉदपुर जनपद बिजनौर।

2–अमन उर्फ शेरा निवासी ग्राम खजूरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3–रितिक निवासी ग्राम धूधली थाना चॉदपुर जनपद बिजनौर।

4–प्रियांशु निवासी ग्राम खन्दरावली थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी

1–चोरी की 08 मोटर साइकिल।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट लखनऊ

- **03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 50 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 30.06.2024 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट लखनऊ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डीह जहनिया मोड़ थाना बक्शा जनपद जौनपुर से 03 मादक

पदार्थ तस्करों 1–दयाशंकर 2–अनुज कुमार 3–रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 50 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बक्शा जनपद जौनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–दयाशंकर निवासी डीह जहनिया थाना बक्सा जनपद जौनपुर।

2–अनुज कुमार निवासी सरायभोगी थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर।

3–रोहित कुमार निवासी सरायचन्द्र थाना बक्शा जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 12 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 50 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

2–नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन।

- **<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/323/506 भादवि व 04 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———–